न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 15/22 वर्ष 2022
GCMS No- 2022/77

बउनवानीः– 1. चन्द्रराज पुत्र भंवरलाल मीना निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन, सवाईमाधोपुर, ए–45–46 तिरपति बिहार ब्लॉक ई छत्रपुरा बूंदी, हाल सवाईमाधोपुर
2. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 3816 पर लगे हुए अमरूद्व, के पेडो की उम्र व संख्या का उचित मूल्यांकन कर मुआवजा देने बाबत।

उपस्थितः–1. श्री राजेन्द्र यादव — वकील प्रार्थी
2. श्री कोशलेन्द्र सिंह, श्री राकेश सोनी — वकील अप्रार्थी 1

–: निर्णय :– दिनांकः– 19.10.2023

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम डेकवा तहसील स0मा0 की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 3816 पर लगे हुए अमरूद्व, के पेडो का अवार्ड देने बाबत जारी नोटिस कमांक भूमि अवाप्ति/पीए/भू0अवा./2021/385 दिनांक 27.8.2020 को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली–बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6. 2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 3816 वाके ग्राम डेकवा का भी अधिग्रहण किया गया। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमे प्रार्थी के अलावा किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध एवं वास्ता नही है उपरोक्त आराजियात पर लगे हुऐ 40 अमरूद्वो के पेडो की उम्र 2 वर्ष की दर्शाते हुए मुआवजा राशि तय की है जबकि प्रार्थी के उक्त खेत में लगे हुए अमरूदो के पेड आयु लगभग 6–7 वर्ष है इसलिए प्रार्थी इसी अनुसार मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह तर्क भी दिया कि उक्त मुआवजा बाबत प्रार्थी द्वारा [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दर्ज करा दी गयी है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा कि[illegible] की कोई सुनवायी नही की गयी है। अतः ख0न0 3816 पर [illegible] सही आयु लगभग 6–7 वर्ष पुराने मानते हुए मुआवजा प्रार्थी की दिलवाये जाने [illegible] द्वारा [illegible] बहस निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:45:50 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौडीकरण/ पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को प्रकाशित किया गया। दो समाचार पत्र "दैनिक भास्कर "एवं "राजस्थान पत्रिका "में दिनांक 8.9.2018 को किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपंत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमे अवाप्त भूमि की *किस्म बारानी–2 निजी सिंचित* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र मे दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा–3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखो की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये है प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड उनके पक्ष मे जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भूमि ख0न0 3816 ग्राम डेकवा पर उगे हुए अमरूद्व के 40 पेड की आयु 2 वर्ष होने के कारण मुआवजा राशि बाबत हितबद्व व्यक्ति प्रार्थी के नाम हिस्सा 1/2 का नोटिस जारी किया गया है जिसके किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस के अनुसार ग्राम डेकवा का उक्त रकबा 3816 रकबा 0..26 है0 एनएच 148एन के निर्माण हेतु अवाप्त हुआ है जिसकी अवार्ड राशि 441395/–रू हितबद्व व्यक्ति कानजी पुत्र ओंकार, अर्जुन पुत्र ओंकार, ओंकार पुत्र मु. रामनारायण के नाम जारी किया गया है तथा अवाप्त भूमि पर लगे हुए 40 अमरूदो के पेडो का अवार्ड प्रार्थी चन्द्रराज पुत्र भवंरलाल के नाम जारी किया है किन्तु राशि के स्वामित्व को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद होने के कारण माननीय न्यायालय में रैफ. बनाकर पेश कर दिया है। जहॉ तक अमरूद के पेडो की आयु 6–7 वर्ष होने बाबत किये गये कथन का प्रश्न है तो पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है जिसके आधार पर उक्त पेडो की आयु 6–7 वर्ष मानी जा सकें। इसीलिए उक्त पेडो की आयु 2 वर्ष मानते हुए अवार्ड जारी किया गया है। जहॉ तक अमरूद्व के पेडों की संख्या व आयु का गलत निर्धारण बाबत किये गये कथन का प्रश्न है तो पेडो की आयु एवं संख्या का निर्धारण वन विभाग, सहायक निदेशक उद्यान विभाग सवाईमाधोपुर से करवाया गया सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तय किया जाकर तदानुसार अवार्ड पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने बाबत अपने जवाब/बहस मे अंकित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:45:50 IST
Reason: SelfAttested

.......(2).......

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम डेकवा के ख0न0 3816 रकबा 0.26 है0 एन.एच.148 के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि के अवार्ड का भुगतान हितबद्व खातेदारान कानजी पुत्र ओंकार, अर्जुन पुत्र ओंकार, ओंकार पुत्र मु. रामनारायण के नाम उनके हिस्से अनुसार किया जा चुका है। प्रार्थी के अनुसार उक्त अवाप्त भूमि पर उगे हुए 40 अमरूद्व के पेडो की आयु 2 वर्ष की दर्शायी गयी है ज़बकि उक्त पेडो की आयु 6–7 वर्ष थी। किन्तु कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिसके आधार पर उक्त अमरूद के पेडो की आयु 6–7 वर्ष मानी जा सके। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन मे कोई विधिक साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया है जिसके आधार पर उनके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि हो सके। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस मे अंकित तथ्यों/दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी/हितबद्व व्यक्ति के पक्ष मे 40 अमरूद्व के पेडो का अवार्ड विधिसम्मत पारित होना पाया गया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि पेडो के अवार्ड के स्वामित्व को लेकर पक्षकारान मध्य विवाद है तथा स्वामित्व का निर्धारण किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा विधिसम्मत पारित अवार्ड मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी के पक्ष मे उक्तानुसार पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को सुनवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:45:50 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Scanned with OKEN Scanner